:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा जिला डूँगरपुर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :—राकेश कुमार मील

मुकदमा नम्बर 02/2022 राजस्व अपील   दायर दिनांक 08.08.2022

1. श्री लक्ष्मण कुमार पुत्र रणछोड़ डामोर जाति भील उम्र वयस्क निवासी झलाई तहसील सीमलवाड़ा जिला डूँगरपुर राज

—अपीलांट

बनाम

1. कान्ति पुत्र रणछोड़ डामोर
2. जयन्ति पुत्र रणछोड़ डामोर
3. मोहन पुत्र रणछोड़ डामोर
4. रमेश पुत्र रणछोड़ डामोर
5. रामी पत्नी स्व. रणछोड़ डामोर निवासीयान झलाई तहसील सीमलवाड़ा जिला डूँगरपुर राज।
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाड़ा जिला डूँगरपुर।
7. सरपंच ग्राम पंचायत झलाप तहसील सीमलवाड़ा जिला डूँगरपुर राज।

—रेस्पोंडेंटगण

अपील बनाराजगी नामान्तरण संख्या 1285, ओदश प्रमाणित ग्राम पंचायत झलाप मौजा झलाप तहसील सीमलवाड़ा जिला डूँगरपुर राज अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

1 श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता अपीलांट।

2 श्री वीरेन्द्रसिंह चौहान अधिवक्ता रेस्पोंडेन्टगण की ओर से।

:: निर्णय ::   दिनांक 14/08/2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट लक्ष्मण पिता रणछोड़ डामोर की मौजा झलाप में जमाबन्दी संवत् 2074—77 खाता संख्या 217 खसरा संख्या 1147 रकबा 0.1781 हैक्टेयर भूमि दर्ज थी।

यह कि अपीलान्ट के पिता का नाम रणछोड़ डामोर पिता कोया डामोर है, जिनकी दिनांक 06/12/1990 को मृत्यु हो गई। अपीलान्ट के स्व. पिता रणछोड़ डामोर के विधिक वारीसान निम्नानुसार है:—

रणछोड़ डामोर पिता कोया डामोर फोत

↓

लक्ष्मण(पुत्र)रामा(पुत्र),मोहन(पुत्र),पुली(पुत्री),राजी(पुत्री),डायी(पुत्री),रेशम(पुत्री),चंची(पत्नी)

यह कि अपीलान्ट के पिता रणछोड़ पुत्र कोया डामोर के हमनाम का अन्य व्यक्ति होने के कारण उसके वारीसान रेस्पोंडेंट संख्या 01 से 05 के नाम नामान्तरण संख्या 1285 के जरिये उपरोक्त वर्णित भूमि दर्ज कर दी गयी है जबकि उक्त आराजी में उपरोक्त पीढ़ीनामा के अनुसार अपीलांट व उसके भाई बहिनों के नाम नामान्तरण दर्ज किया जाना चाहिए था। कि उक्त आराजी के सम्पूर्ण रकबे पर अपीलान्ट एवं उसके भाई बहिन काबीज होकर काश्त कर रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1286 को अपास्त किया जाकर, पीढ़ीनामा अनुसार नामान्तरण दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया, रेस्पोडेन्ट की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट का जवाब बन्द किया गया। भूमिधारी तहसीलदार का जवाब प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। अपीलान्ट की अपील न्यायसंगत होने से स्वीकार की गई।

क्रियात्मक आदेश

अतः ग्राम पंचायत झलाप द्वारा स्वीकृत ग्राम झलाप नामान्तरण संख्या 1285, दिनांक 05.08.2021 खाता संख्या 217 के खसरा सख्या 1147 का रकबा 0.1781 हैक्टेयर को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार सीमलवाड़ा को रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि ग्राम झलाप नामान्तरण संख्या 1285 दिनांक 05.08.2021 को निरस्त कर पुनः मृतक के विधिक वारिसान की जांच कर नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। तहसीलदार सीमलवाडा आदेश की पालना अविलम्ब कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 14/08/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner